तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.71/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म [illegible] मिल में जारी हुए
05.5.2023	पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या–1 (अंकित पुत्र श्री हरिश भाई पटेल, निवासी– लक्ष्मी निवास, एस वी लाईन, बाल मन्दिर के पास, गणेशपुरा, पालनुपर, बनास कांठा, गुजरात, विक्रेता एवं खाद्य कारोबारकर्ता, फर्म गामी ड्राई फ्रूट, जी–5 आबू सेन्ट्रल कॉम्पलेक्श, पुराना चैक पोस्ट, आबूरोड़, जिला– सिरोही) उपस्थित। प्रतिवादी संख्या–2 (डायालाल पुत्र श्री नगरदास, जाति– पटेल, निवासी– रामपुरा, सरदापुरा, बनासकांठा गुजरात, खाद्य कारोबारकर्ता, फर्म तिरुपति फाईबर्स एण्ड इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, आबूरोड़, जिला– सिरोही) उपस्थित। प्रतिवादी फर्म Swati Agro Products, Servey no. 405/2, Bhavisana to Sagrosana Road, At. Bhavisana, Palanpur- 385001(Gujrat) की ओर से प्रवीण कुमार भीखाभाई गोरादरा, निवासी– Bhavisana, Sagrosana, Palanpur, Banaskantha(Gujrat) उपस्थित। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादीगण के विरुद्ध श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 13.11.2022 को फर्म गामी ड्राई फ्रूट, जी–5 आबू सेन्ट्रल कॉम्पलेक्स, पुराना चैक पोस्ट, आबूरोड़, जिला– सिरोही में प्रतिवादी संख्या–1 (अंकित पुत्र श्री हरिश भाई पटेल, निवासी– लक्ष्मी निवास, एस बी लाईन, बाल मन्दिर के पास, गणेशपुरा, पालनपुर, बनासकांठा) से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ काजू (गामी ब्राण्ड) का नमूना संख्या S-1918 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./1967/Act/2022/1953 दिनांक 18.11.2022 में मिथ्याछाप (Misbranded) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 52 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाये गये। जिस पर प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 05.4.2023 को प्रतिवादीगण ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण का निस्तारण करने का अनुरोध किया। जिस पर प्रतिवादीगण को सुना गया। प्रतिवादी डायालाल ने यह व्यक्त किया कि मेरी दुकान गामी ड्राई फ्रूट, जी–5 आबू सेन्ट्रल कॉम्पलेक्स, पुराना चैक पोस्ट, आबूरोड़ में संचालित है जिसमें प्रतिवादी अंकित पुत्र हरिश भाई पटेल मेरे यहां नौकरी करता है। मैनें उक्त दुकान को मैसर्स तिरुपति फाईबर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, आबूरोड़ के कॉमर्सियल कॉम्पलेक्स "आबू सेन्ट्रल" में ग्राउण्ड फलोर में किराये पर लिया है। तिरुपति फाईबर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, आबूरोड़ मेरी फर्म नही है, बल्कि मैंने उक्त फर्म के काम्पलेक्स में एक दुकान किराये पर ली है जो गामी ड्राई फ्रूट के नाम से संचालित है। हमनें सुनी गई बहस [illegible] पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अ[illegible] वलोकन किया तो यह पाया कि श्री दि[illegible] सुरक्षा अधिकारी दिनांक 13.11.2022 [illegible] पदार्थो के ......लगातार	

प्रति. जिला कलेक्टर
सिरोही–307001

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.08.04 17:10:02 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.71/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए
	निरीक्षण हेतु फर्म गामी ड्राई फ्रूट, जी–5 आबू सेन्ट्रल कॉम्पलेक्श, पुराना चैक पोस्ट, आबूरोड़, जिला– सिरोही पर गये। वहां पर विक्रेता की हैसियत से प्रतिवादी अंकित पुत्र हरिश भाई पटेल, निवासी– लक्ष्मी निवास, एस वी लाईन, बाल मन्दिर के पास, गणेशपुरा, पालनुपर, बनास कांठा (गुजरात) उपस्थित मिले, जो आम जनता को खाद्य पदार्थ काजू (गामी ब्राण्ड) बेचता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दुकान के निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग आने वाले खाद्य पदार्थ काजू (गामी ब्राण्ड) के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना मौके पर उपस्थित गवाह के समक्ष प्रतिवादी अंकित को प्रपत्र 5ए में भरकर दी व रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने गामी ड्राई फ्रूट की दुकान के अन्दर बिक्री हेतु मौजूद खाद्य पदार्थ काजू (गामी ब्राण्ड) के 5 पैक्ड पैकेट (प्रत्येक 250 ग्राम) में से खाद्य पदार्थ काजू (गामी ब्राण्ड) के 4 पैक्ड पैकेट (प्रत्येक 250 ग्राम) को वास्ते नमूना जांच खरीदा एवं उसकी कीमत राशि रुपये 720/– (अक्षरे रुपये सात सौ बीस मात्र) प्रतिवादी अंकित को नकद अदा कर खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-1918, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ काजू (गामी ब्राण्ड) आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा काजू (गामी ब्राण्ड) के चारों पैक्ड पैकेट पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया और चारों नमूना जारों को अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-1918 को नियमानुसार गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को नियमानुसार सील चपडी किया व प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर कराये व स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर विक्रेता, गवाह व आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की की दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 15.11.2022 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा, श्री महेश परिहार, कार्मिक, कार्यालय कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा [illegible] रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 [illegible] सील [illegible] लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को दिनांक ....लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.08.04 17:10:02 IST
Reason: SelfAttested

प्रति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.71/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म के तामिल में जारी हुए
	13.11.2022 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म गामी ड्राई फ्रूट, जी–5 आबू सेन्ट्रल कॉम्पलेक्श, पुराना चैक पोस्ट, आबूरोड़, में विक्रेता अंकित पुत्र हरिश भाई पटेल से खाद्य पदार्थ काजू (गामी ब्राण्ड) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ काजू (गामी ब्राण्ड) के नमूना संख्या S-1918 की प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांकः L.S./1967/Act/2022/1953 दिनांक 18.11.2022 के अनुसार खाद्य पदार्थ काजू (गामी ब्राण्ड) का नमूना मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि फर्म गामी ड्राई फ्रूट द्वारा खाद्य पदार्थ काजू (गामी ब्राण्ड) को फर्म Swati Agro Products, Servey no. 405/2, Bhavisana to Sagrosana Road, At. Bhavisana, Palanpur-385001(Gujrat) से जरिये बिल क्रय किया था। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज किरायानामस की छायाप्रति के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी डायालाल पुत्र श्री नगरदास, निवासी– रामपुरा, सरदारपुरा, पालनपुर, बनासकांठा, गुजरात द्वारा मैसर्स तिरुपति फाईर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, आबूरोड़, जिला– सिरोही के कॉमर्सियल कॉम्प्लेक्स "आबू सेन्ट्रल" में ग्राउण्ड फलोर में एक दुकान किराये पर ली है जिसमें गामी ड्राई फ्रूट्स नाम से दुकान संचालित है, जो प्रतिवादी डायालाल की है। प्रकरण में यह तथ्य भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी डायालाल की फर्म गामी ड्राई फ्रूटस्, जी–5, आबू सेन्ट्रल कॉम्प्लेक्स, आबूरोड़ में प्रतिवादी अंकित पुत्र हरिश भाई पटेल नौकरी करता है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 27 में विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरक व निर्माता के दायित्व दिये हुए है, इसके अनुसार मिथ्याछाप खाद्य सामग्री विक्रय हेतु विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरक, पैकर व विनिर्माता दोषी है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादी फर्म गामी ड्राई फ्रूट, जी–5 आबू सेन्ट्रल कॉम्पलेक्श, पुराना चैक पोस्ट, आबूरोड़, जिला– सिरोही एवं प्रतिवादी फर्म Swati Agro Products, Servey no. 405/2, Bhavisana to Sagrosana Road, At. Bhavisana, Palanpur- 385001(Gujrat) ने मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ काजू (गामी ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। ......लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.08.04 17:10:02 IST
Reason: SelfAttested

प्रति. जिला कलेक्टर
सिरोही–307001

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.71/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए
	अतः प्रतिवादी अंकित पुत्र हरिश गहलोत को दोष मुक्त किया जाकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 52 के तहत मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ काजू (गामी ब्राण्ड) के विक्रय हेतु प्रतिवादी डायालाल पुत्र श्री नगरदास, जाति– पटेल, निवासी– रामपुरा, सरदारपुरा, पालनपुर, जिला–बनासकांठा (गुजरात), खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म गामी ड्राई फ्रूट, जी–5 आबू सेन्ट्रल कॉम्पलेक्श, पुराना चैक पोस्ट, आबूरोड़, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 3,000/– (अक्षरे रुपये तीन हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) एवं प्रतिवादी फर्म Swati Agro Products, Servey no. 405/2, Bhavisana to Sagrosana Road, At. Bhavisana, Palanpur- 385001(Gujrat) पर राशि रुपये 4,000/– (अक्षरे रुपये चार हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी डायालाल पुत्र श्री नगरदास, जाति– पटेल, निवासी– रामपुरा, सरदारपुरा, पालनपुर, जिला–बनासकांठा (गुजरात), खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म गामी ड्राई फ्रूट, जी–5 आबू सेन्ट्रल कॉम्पलेक्श, पुराना चैक पोस्ट, आबूरोड़, जिला– सिरोही एवं फर्म Swati Agro Products, Servey no. 405/2, Bhavisana to Sagrosana Road, At. Bhavisana, Palanpur- 385001(Gujrat) के प्रतिनिधि प्रवीण कुमार भीखाभाई गोरादरा, निवासी– Bhavisana, Sagrosana, Palanpur, Banaskantha(Gujrat) को आदेशित किया जाता है कि उक्त आरोपित जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में अलग अलग Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन में जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय की प्रति संबंधित को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 09.6.2023 को पेश हो। (के.आर.खौड़) **अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट** **सिरोही**	

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.08.04 17:10:02 IST
Reason: SelfAttested